राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 392/2014
सोहन लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्ररम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बडीसादडी, चित्तौडगढ।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी दिनांक 31.10.2008 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सेवानिवृत्ति पर नहीं किया गया। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में कई बार अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। फिर भी अपीलार्थी को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया। बाद में अपीलार्थी को दिनांक 27.11.2009 के आदेश द्वारा जीपीओ, सीपीओ एवं पीपीओ आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से अपीलार्थी देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपालार्थी की सेवानिवृति पश्चात् दिनांक 31.01.2009 को अंतिम भुगतान प्रपत्रो की पूर्ण पूर्ती कर प्रेषित किये, जिसके आधार पर दिनांक 25.02.2009 को रूपये 517951/– का समयावधि मे अधिकार पत्र नियमानुसार ब्याज सहित जारी कर दिया गया। दिनांक 08.12.2009 को एक आवेदन पत्रमय जीए 55 ए प्राप्त हुआ, उसमे पुनः 2/09 तक ब्याज सहित गणना कर दिनांक 24.02.2010 को 36140/– रू. का अधिकार पत्र जारी

किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की और अपीलार्थी की कोई राशि बकाया नही निकलती है। उनका आगे तर्क है कि दिनांक 01.04.2008 को बकाया होने से 31.03.2008 को अधिकार पत्र सं. 6064 के जावक क्रमांक 4091–93 दिनांक 31.03.2008 राशि 88214/– जारी कर अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया। कार्यालय चित्तोडगढ द्वारा प्रतापगढ से पत्रावली मंगवाकर जावक क्रमांक 1869–70 दिनांक 12.07.2010 के द्वारा राशि 5557/– जो अपीलार्थी को भेजी गई, वह ब्याज सहित सम्मिलित राशि थी। प्रीमियम 18190/– व ब्याज 10962/– यानि कुल 29152/–रू की कटोती की गई, जो भुगतान योग्य नही है। इस तरह समस्त भुगतान नियमानुसार ब्याज आदि की गणना कर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को देय किये गये है।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. स्पष्ट रूप से अपीलार्थी दिनांक 31.10.2008 को सेवानिवृत्त हो गया था। अपीलार्थी को जीपीओ, सीपीओ एवं पीपीओ आदेश दिनांक 27.11.2009 को जारी हुए थे। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया। यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी की गलती के कारण उसे सेवानिवृति लाभ का भुगतान देरी से किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में जो देरी हुई है उस पर अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभों के

भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाये।

7. उपरोक्त आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाये। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)